प्रेस विज्ञप्ति

11.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 20.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष निखिल पी. हलभवी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस (महू पुलिस स्टेशन, इंदौर) द्वारा आईपीसी, 1860 और सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की विभिन्न धाराओं के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी/सट्टा-मटका ऐप **धनगेम्स** चलाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मनोज मालवीय ने लोकेश वर्मा और अन्य अभियुक्तों, विशेष रूप से निखिल पी. हलभवी के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र रचा और भोले-भाले लोगों को लुभाने के लिए धनगेम्स नामक एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप विकसित किया। इन '*सट्टा मटका ऐप्स*' के माध्यम से प्राप्त अवैध धन को बेनामी बैंक खातों के माध्यम से वैध बनाया गया और अंततः इस अवैध लाभ को आपस में बाँट लिया गया।

ईडी ने 27.10.2023 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 46.58 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, जो बड़े पैमाने पर धन शोधन का संकेत है। इसके बाद, इस मामले में 9.10 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के दो अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।